

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि० अपील सं. 14/2017

कमला पत्नि रमेश कुमार, जाति रेगर नि० अम्बा कॉलोनी, बोरराज रोड, अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला-अजमेर (राज०)

.....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

आदेश

दिनांक - 7.12.2017

अपीलान्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन/अपील की जाँच आयुक्त नगर निगम, से करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 30.12.2016 (क्रम संख्या 50) से अपात्र मानते हुए प्रार्थी का आवेदन/अपील खारिज की गई जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रेषित करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ स्वीकार व प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नवीनतम विभागीय निर्देशों के क्रम में प्रकरण पर पुनः जांच कर 15 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।



10/12/17
(गौरव गौयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर